23 बी/1 दी/17

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग

मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 05/05/2017

क्र. एफ 16 -02/2017/ए-ग्यारह:: राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स मेसर्स एसआरएफ लि. द्वारा एसईजेड पीथमपुर जिला धार में स्थापित मूल/विस्तारित/शवलीकृत (Diversified) इकाईयों को निम्नानुसार लाभ प्रदान किया जावे:-

1. उद्योग निवेश संवर्धन सहायता, 2004 के नियमों में पुनर्विचार करते हुए इकाईयों को मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन सहायता का लाभ उनकी पात्रतानुसार निम्नानुसार दिया जावे:-

क्र	इकाई का स्वरूप	उद्योग संवर्धन नीति, 2004 अंतर्गत उद्योग निवेश संवर्धन सहायता की निर्धारित पात्रता	इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि	इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से पात्रता अवधि
1	मूल इकाई	10 वर्ष	09.10.2004	09.10.2004 से 08.10.2014 तक
2	विस्तारित इकाई	10 वर्ष	23.12.2009	23.12.2009 से 22.12.2019 तक
3	शवलीकृत इकाई	10 वर्ष	28.09.2010	28.09.2010 से 27.09.2020 तक

2. कम्पनी की मूल, विस्तारित तथा शवलीकृत इकाईयों को उनके वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 19.03.2013 की अवधि में एसईजेड क्षेत्र से डीटीए (डोमेस्टिक टैरिफ एरिया) में विक्रय करने पर सी फार्म की अनिवार्यता संबंधी शर्त को शिथिल कर वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा पूर्व में प्रभारित केन्द्रीय विक्रय कर की पुर्नगणना कर सी फार्म का लाभ देते हुये ब्याज एवं पैनल्टी रहित कर आरोपित किया जावे।

3. कम्पनी की मूल, विस्तारित तथा शवलीकृत इकाईयों को यदि तत्समय कर निर्धारण कर वेट/सीएसटी प्रभारित किया जाता तो इस दशा में कम्पनी की इकाईयों पर विभाग द्वारा कर न चुकाने पर ब्याज आरोपित करने की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। अतः उपरोक्त तथ्य के दृष्टिगत कम्पनी की उक्त इकाईयों पर आरोपित संपूर्ण ब्याज राशि मुक्त की जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग
भोपाल, दिनांक 05/05/2017

पृ.क्र. एफ 16 -02/2017/ए-ग्यारह

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
4. आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर ।
5. कलेक्टर, जिला धार।
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) लि., इंदौर।
7. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स एसआरएफ लि., ब्लॉक-सी, सेक्टर-45, गुड़गांव-122003

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग